यूनिट 1 यात्रा और पर्यटन सम्बन्धी नीतियां

संरचना

1.0 उद्येश्य

1.1 प्रस्तवना

1.2 भारत में पर्यटन नीति

1.2.1राष्ट्रीय पर्यटन नीति 1982

1.2.2 पर्यटन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 1992

1.2.3 राष्ट्रीय पर्यटन नीति सन 2002 और पर्यटन नीति मसविदा 2015

1.3 पर्यटन और परिवहन नीति

1.3.1 भारत में परिवहन नीति

1.4 भारत में संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत सम्बन्धी नीति

1.5 दीर्घकालिक पर्यटन विकास के लिए नीति के क्षेत्र

1.6 समापन

1.7 प्रगति की जांच के लिए कुछ संकेत सूत्र

1.8 पुन:पाठ

1. उददेश्य

इस यूनिट को पढ लेने के बाद आप सीख जायेंगे-

- •पर्यटन के विकास में नीति और योजना की आवश्यकता
- •भारत की विशिष्ट पर्यटन नीति के कुछ मुख्य विन्दु
- •भारत में परिवहन नीति
- •संसकृति और विरासत सम्बन्धी नीतियों के कुछ प्रमुख मुद्दे
- •पर्यटन के सतत विकास के लिए नीति के कुछ खास विन्दु

1.1 **प्रस्तावना**

आज के समय में पर्यटन उद्योग के कई आयाम हैं। सर्वथा अलग उद्योग के तौर पर इसका संचालन नहीं किया जा सकता। पर्यटकों को सेवायें प्रदान करने में दूसरे उद्योगों की सेवायें भी लेनी पडती हैं।उदाहरण के लिए पर्यटकों को एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य पर जाने के लिए परिवहन सुविधाओं तथा ठहरने के लिए होटल की भी आवश्यकता पडती है। पर्यटक आजकल पर्यटन सम्बन्धी सभी आवश्यक जानकारियों से लैस होते हैं और नये नये अनुभव पाना चाहते हैं। पर्यटन सम्बन्धी सुविधाये देने वाली संस्थायें पर्यटकों को पर्यटन से जुडे अनुभव साझा करती रहती

हैं। पर्यटन स्थल की स्थानीय जनता भी पर्यटकों को उस स्थल- विशेष के महत्व को दर्शाने वाली जानकारियां देकर पर्यटकों के अनुभव में इजाफा करते रहते हैं। इसके अलावा, पर्यटन स्थल से जुडी तमाम जानकारियों, जैसे, खान-पान,गतिविधियों, मनोरंजन के साधनो, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थ्लों, प्राकृतिक दृश्यों, साहसिक गतिविधियों, त्यौहारो, समारोहों, मनोरंजन केन्द्रों, बाजारों, रात्रिभोजों, स्थानीय पाक शैली और 'निच' आदि, ढेर सारे पर्यटन उत्पाद गिनाये जा सकते हैं। अत: कह सकते हैं कि आधुनिक पर्यटन का स्वरूप तमाम दूसरे विभागों,उनके काम करने के तरीकों, तरह तरह के हितधारकों , तमाम तरह के पर्यटकों, और पर्यटन से जुडी सेवाओं से बंधा होता है। पर्यटन उद्योग में कई एक विभागों की सेवाओं की आवश्यकता पडती है। आर्थिक, सामाजिक, प्रबंधकीय, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और यहां तक कि राजनीतिक क्षेत्रों में भी इसके विकास का प्रभाव परिलक्षित होता है। हालांकि, पर्यटन विकास के सभी प्रभाव सकारात्मक ही नहीं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, इसलिए, किसी पर्यटन-स्थ-विशेष के परिवेश पर नकारात्मक प्रभाव की सम्भावना कम से कम करने के लिए,लक्ष्य केनिद्रत नीति बनाना जरूरी होता है।

जैसा कि आप जानते हैं,जैसे कई दिशा निर्देश मिलाकर नीति बनती है, उसी तरह "विमर्शों, निर्णयो और सरकार और निजी संस्थानों के सहयोग से पर्यटन से जुडे ढेर सारे लक्ष्यों को समन्वित करके पर्यटन नीति तैयार की जाती है।" इसे आप बीटीएमसी 133 (पर्यटन का इतिहास) के यूनिट 18 में पहले ही पढ चुके हैं। आप को भारत की पर्यटन नीति के बारे में संक्षेप में बताया जा चुका है।लेकिन आधुनिक पर्यटन उद्योग चूकि अपने चरित्र में बहुउद्येशीय हो चुका है,इसलिए पर्यटन के छात्रों और पेशेवरों को,पर्यटन नीति के साथ साथ दूसरे सम्बन्धित विभागों की नीतियों के बारे में जानकारी रखना भी फायदे मंद हो सकता है। इससे पर्यटन से जुडी सेवाओं का सुविस्त्रित ज्ञान हासिल होगा और पर्यटन उद्योग के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण बनाना भी संभव होगा।

इस तरह,इस यूनिट में, हम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सूत्रीकृत नीतियों और योजनाओं के कुछ महत्वपूर्ण विन्दुओं का एक बार फिर से पाठ करेंगे। हम भारत में,पर्यटन उद्योग के दो महत्वपूर्ण घटकों- संस्कृति और परिवहन नीति से जुडे मसलों पर भी दृष्टिपात करेंगे। केवल पर्यटन उद्योग का विस्तार और विकास ही पर्याप्त नहीं है। इसे नियमित रूप से लागू करना भी आज की जरूरत है, इसलिए,इस यूनिट में, पर्यटन के सतत विकास के लिए नीतियों में किये गये प्रावधानों का भी अध्ययन करेंगे।

1.2 भारत में पर्यटन नीति

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, अब तक केवल दो पर्यटन नीतियां बनाई गयी हैं।पहली,1982 तथा दूसरी 2002 में बनाई गयी थी। इन दोनों नीतियों के बीच की अवधि में,भारत के पर्यटन मंत्रालय की ओर से सन1992 में राष्ट्रीय पर्यटन योजना लागू की गयी थी। राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2015 का मसौदा भी जारी किया गया था। इस यूनिट में हम इन के मुख्य मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालेंगे।

1.2.1 राष्ट्रीय पर्यटन नीति 1982

भारत में, केन्द्र और राज्य-दोनों ही स्तरों पर पर्यटन नीति तैयार की जाती है। भारत सरकार के पर्यटन राज्य मंत्री के नेतृत्व में काम करने वाला पर्यटन मंत्रालय,पर्यटन सेवाओं की उन्न्ति तथा विकास के लिए, केन्द्र राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत आने वाली कई तरह की सरकारी तथा निजी ऐजेंसियों के साथ सम्पर्क-सहयोग स्थापित करता है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति और कार्ययोजना बनाने के लिए मंत्रालय 'नोडल एजेंसी' की भूमिका भी अदा करता है। भारत में 3नवम्बर सन 1982 के दिन पहली बार पर्य्यटन नीति पेश की गयी थी। वैसे तो यह पर्य्यटन के संबंध में परिचयात्मक भूमिका जैसी थी लेकिन देश की पहली पर्यटन नीति होने के कारण पर्यटन के क्षेत्र में इसे ऐतिहासिक कदम माना गया। इसके बाद ही भारत में पर्य्यटन के भावी विकास की बुनियाद रखना संभव हुआ। पहली पर्य्यटन नीति का सारा ध्यान भारत में पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने और प्रचारित करने पर दिया गया ताकि विदेशी मुद्रा

विनिमय,रोजगारसृजन आदि के रूप में इसका लाभ उठाया जा सके। इस नीति में शामिल कुछ प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार थे–

1. घरेलू पर्यटकों की सुविधाओं में बुनियादी सुधार और विस्तार करना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना।
2. सांस्कृतिक महत्व के बडे पर्यटन केन्द्रों पर, पर्यटकों के लिए,सम्बनिघत
3. राज्य सरकारों तथा सेवा कार्य में लगी संस्थाओं के सहयोग से,योजनाबद्ध तरीके से पर्याप्त सुविधाओं का प्रबंध करना।
4. अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, प्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहर स्थ्लों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।

5. भारत समेत सभी दक्षिण एशियायी देशों में पर्यटन को बढावा देने पर विशेष तौर पर ध्यान केन्द्रित करना।
6. पर्यटन को भारत के युवावों में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने का जरिया बनाना।

1.2.2 पर्यटन पर राष्ट्रीय कार्य योजना(एन ए पीटी)1992)

पर्यटन विभाग ने मई 1992 में एक कार्य योजना तैयार की जिसे 'पर्यटन के लिये राष्ट्रीय योजना'(एनएपीटी) कहा गया। इसका लक्ष्य निम्नवत था-

1. इलाको का समाजार्थिक विकास।
2. रोजगार के मौजूदा अवसरों को बढाकर कम से कम दो गुना करना। सीमित आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर घरेलू पर्यटन का विकास करना। अवकाश यात्राओं को सस्ता बनाना।
3. राष्ट्रीय पर्यावरण और विरासतों का संरक्षण करना।
4. अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढावा देकर विदेशी मुद्रा की कमाई का रास्ता प्रशस्त करना।
5. पर्यटन के अनेक प्रकारों,जैसे कि अवकाश पर्यटन,साहसिक पर्यटन,परम्परागत पर्यटन और प्रोत्साहन पर्यटन आदि को बढावा देना।
6. पांच साल में,विश्व पर्यटन में भारत की मौजूदा भागीदारी को 0.4प्रतिशत से बढाकर 1प्रतिशत तक ले जाना।

7. सन1992 के राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल नीतियों का सार संक्षेप इस प्रकार है-

अ. पर्यटन मंत्रालय से सम्बनिधत विषय-

क. पर्यटन के विकास और तीब्र निवेश के लिए नये क्षेत्रों का सृजन करना तथा उन्हें अधिसूचित जोन में शामिल कराना।

ख्. किसी क्षेत्र विशेष में,पर्यटन से सम्बन्धित उद्योग लगाने के लिए

ग. वित्तीय सहायता हेतु कार्यक्रम संचालित करना।

घ. प्राचीन विरासत के रूप में प्रसिद्ध विशेष श्रेणी के होटलो/ रिसोर्टस के सृजन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना ।

ङ वित्तीय संस्थानों से कम व्याज दर पर ऋण दिलवाना और प्रचार कार्य हेतु विशेष्ज्ञों की सहायता का प्रबंध करना।

च. 'प्लेस आन ह़वील्स' की सफलता पर आधारित, प्रमुख मार्गो पर पर्यटक ट्रेनें चलाना।

छ. कुछ खास परिपथों पर 'रिवर क्रुसेज' का संचालन ।

ज. विदेशी कार्यालयों का पुनरूद्धार करना और कुछ खास पर्यटन लक्ष्यों के संदर्भ मे उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना।

झ. दुनिया के प्रमुख बाजारों में भारत की सकारात्मक छवि पेश करने के लिए सूचना तंत्र को नये सिरे से तैयार करना।

ञ. कुछ चुनिन्दा पर्यटन स्थलों के लिए हवाईयात्राओं और होटलों का विशेष पैकेज तैयार करना।

ट. प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड़डों,रेलवे स्टेशनो और होटलों पर पर्यटकों को यात्रा सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सूचना पटल का निर्माण करना।

ब. अन्य मंत्रालयों से सम्बन्धित मुद्दे-

क. प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडों पर आब्रजन, कस्टम, सामान, मुद्रा विनिमय आदि की सुविधायें तथा कोच और टैक्सी आदि की व्यवस्था करना ।

ख. घोषित नीति के तहत बाधा मुक्त आसान चार्टर उडानें सुनिश्चित करना ।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एनएपीटी 1992 के प्लान में पर्यटन के विकास से जुडे कुछ अन्य क्षेत्रों के मसलों को भी विचार के लिए शामिल किया गया था।

1.2.3 राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 और मसौदा 2015

1982 में पहली राष्ट्रीय पर्यटन नीति बनी थी।इसके बीस वर्ष वाद, पर्यावरण पर हानिकारक असर पहुंचाये बिना, औचित्य पूर्ण् तरीके से, पर्यटन उद्योग में रोजगार देने और गरीबी मिटाने की क्षमता को देखते हुए , सन 2002 में दूसरी

बार राष्ट्रीय पर्यटन नीति लायी गयी।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 के कुछ प्रमुख लक्ष्य-विन्दु निम्न प्रकार थे-

1.पर्यटन उद्योग को अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रमुख स्रोत बनाना।

2.पर्यटन उउद्योग को कई तरह के रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का आधारभूत स्रोत बनाना।

3.पर्यटन उद्योग के विकास के लिए घरेलू पर्यटन पर घ्यान केन्द्रित करना।

4.विश्व व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे तीब्र विकास का लाभ उठाते हुए,तथा नये पर्यटन स्थलों के विकास की संभावनाओं के मददे नजर भारत को पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करना।

5.पर्यटन के क्षेत्र् में, एक प्रमुख सहायक और प्रेरक के तौर पर सक्रिय निजी क्षेत्र की संस्थाओं के महतव को स्वीकार करना।

6.राज्यसरकारों,निजी क्षेत्र की संस्थाओं तथा अन्य एजेंसियों के सहयोग से,भारत की सभ्यता संस्कृति और विरासत के वैशिष्ट्य पर आधारित समेकित पर्यटन परिपथ का निर्माण और विकास करना।

7.यह सुनिश्चित करना कि बाहर से आने वाले पर्यटक भारत में शारीरिक रूप से स्फूर्त मानसिक रूप से उत्साहित,सांस्कृतिक रूप से समृद्ध तथा

आध्यात्मिक तौर पर उन्नत महसूस करते हैं भारत को दिल से प्यार करने लगते हैं।

पर्यटन के विकास को तेज करने के लिए, भारत को एक पर्यटन स्थल के तौर पर **SWORT(**एस - स्ट्रेंथ, डब्लू - वीकनेस, ओ- अपरचुनिटी और टी-थ्रेट) विश्लेषण में शामिल कराना और सात सूत्रों की पहचान करना।

सात सूत्र इस प्रकार थे-

- स्वागत **(welcome)**
- सूचना **(Information)**
- सुविधा **(Facilitation)**
- सुरक्षा **(Safety)**
- सहयोग **(Co operation)**
- संरचना **(Infrastructure)**
- सफाई **(Cleanlness)**

पर्यटन नीति की परिकल्पना को साकार करने के लिए तय किये गये पांच रणनीतिक सूत्र इस प्रकार थे-

1 पर्यटन विकास को एक राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिकता का विषय बनाना।

2 एक पर्यटन केन्द्र के तौर पर विकसित करने के लिए भारत के पर्यटन को प्रतियोगितात्मक स्तर पर उच्चीकृत करना।

3 बाजार की बदली हुई जरूरतों के अनुरूप भारत के मौजूदा पर्यटन उत्पादों को संवर्धित तथा विकसित करना।

4 विश्वस्तरीय ढांचा तैयार करना ।

5 दीर्घस्थायी महत्व की प्रचार योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 में रह गयी खामियों को दूर करने, और पर्यटन से जुडे तमाम दूसरे क्षेत्रों में हो रहे निरंतर विकास और बदलाओं की समीक्षा करते रहने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने 2002 की नीति का पुनरीक्षण कर के 2015 का नीति मसौदा तैयार किया। मसौदा तैयार करने के दौरान,वर्कशाप और बैठको के माध्यम से,पर्यटन के क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले लोगों, नेताओं, प्रांतीय और केन्द्रशाशित सरकारों,उद्योग संगठनों और हितधारकों से राय मश्विरा लेना एक बडा काम होता था। यूनाइटेड नेसन्स वर्ल्ड टूरिज्म आर्गेनाइजेशन(यूएनडब्लूटीओ)समेत दूसरी वैश्विक संस्थाओं की राय लेना भी आवश्यक था।

बाक्स 1.1: राष्ट्रीय पर्यटन नीति मसौदा 2015 में प्रस्तावित भविष्य दृष्टि और लक्ष्य।

<u>भविष्य दृष्टि</u>

दुनिया भर के पर्यटकों की नजर में भारत को एक " अवश्य दर्शनीय" पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित और स्थापित करना।

भारत के युवावों को देश में छिपी पर्यटन सम्भावनाओं की खोज के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें यह महसूस कराना कि पर्यटन उद्योग आर्थिक विकास का वह इंजन है जो रोजगार के अवसर पैदा करके गरीबी दूर करने में सहायक हो सकता है।

लक्ष्य

• दूरगामी विकास कार्यो के माध्यम से भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन को बढाकर राजस्व की कमाई करना ।

• साल के सभी महीनों में,सभी पर्यटन स्थलों पर बार बार आते रहने के लिए पर्यटकों को प्रेरित और उत्साहित करते रहना।

• घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करना।

• सामाजिक,आर्थिक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय स्तर पर जिम्मेदार तरीके से पर्यटन के विकास और प्रोन्नति की योजनायें बनाना।

• घरेलू और विदेशी पर्यटकों की नजर में भारत को एक सुरक्षित गंतव्य स्थल की छवि प्रदान करना।

• " अतुल्य भारत" ब्रांड को प्रतिष्ठित करना।

•विश्वस्तरीय किन्तु प्रामाणिक स्थानीयता का अनुभव कराना ।

• पर्यटन के विकास और उन्नयन में प्रांतीय और केन्द्र शाशित प्रदेश की सरकारों तथा हितधारकों की सहायता लेना।

- पर्यटन विकास में सार्थक,न्यायसंगत सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना ।

स्रोत: भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय।

अपने प्रगति की जांच करें **1**

आधुनिक पर्यटन के तीन अभिलक्षण बतायें।

……

……

2) राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 में पर्यटन के विकास के लिए चिन्हित किये गये सात**'s'** कौन कौन थे।

……

……

1.3 पर्यटन और परिवहन नीति

पर्यटन के चार मूल भूत तत्वों **(4As)** में एक तत्व है- सुलभता। अन्य तीन हैं- आकर्षण, निवास और सुविधाएं। अकसर गतिविधि को पांचवां तत्व माना जाता है। 'सुलभता' का अर्थ है, कहीं भी कभी भी पहुंचने की सुविधा। पर्यटन के संदर्भ

में सुलभता का अर्थ है,गंतव्य स्थल पर पहुंचने की सुविधा। खैर, मूल बात यह है कि पर्यटक अपने गंतवय तक कैसे पहुंचता है। पर्यटक को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परिवहन के साधन की आवश्यकता होती है,जैसे कि कार,बाइक,बस ट्रेन, जहाज या हवाई जहाज। अत: पर्य्रटन में परिवहन का बहुत अधिक महत्व है। पर्यटक परिवहन के माध्यम से ही तरह तरह के पर्य्यटन स्थलों पर पहुंचता है । परिवहन सेवा एक प्रकार से जीवन रेखा है जो पूरी दुनिया में लोगों और सामानों को एक से दूसरे स्थान तक ले जाने और लाने के काम आता है। इसलिये, गंतव्य स्थलों की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों में इसको बहुत महत्व दिया जाता है। यात्रा आरम्भ करने के लिए परिवहन पहली जरूरत होता है। परिवहन के मार्य्फत ही पर्यटक अपने मूल स्थान से गंतव्य तक की यात्रा कर पाता है। परिवहन सुविधा से ही किसी गंतव्यस्थल के आस पास के दृश्यों,स्थलों तथा ठहरने की जगहों के बीच आवागमन सम्भव होता है।परिवहन सेवा से ही पर्यटकों का आवागमन के साथ साथ् पर्य्यटन उद्योग से जुडी ढेर सारी गतिविधियों का संचालन संभव बनाता है।

परिवहन क्षेत्र का विकास पर्य्यटन क्षेत्र के विकास में मदद करता है। आज के समय में पर्यटन एक वैश्विक गतिविधि है। एक आंकडे के अनुसार 2012 के बाद,प्रत्येक वर्ष लगभग 1 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्य्यटक यात्रायें करते है। रोचक बात यह है कि पूरे विश्व में, अंतर्र्ाष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या घरेलू पर्य्यटकों की

तुलना में बहुत ही कम होती है। पर्यटकों की संख्या बढने का मतलब है परिवहन सुविधाओं के उपयोग में बृद्धि और उसी अनुपात में परिवहन क्षेत्र की आय में वृद्धि। दूसरी तरफ,पर्यटकों की संख्या बढने से परिवहन सेवाओं की उपब्ध क्षमता पर दबाव बढ जाता है। ट्रांसपोट व्यवस्था,खासकर वायुमार्ग पर पर्यटकों का बोझ बढने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पडने का खतरा पैदा हो जाता है। इसप्रकार, दोनों सेक्टर को एकसाथ और आपसी सहयोग बनाकर काम करना चाहिए। इसमें दोनो का लाभ है। नीति बनाते समय दोनो सेक्टरों को आपस में एक दूसरे का सहयोग जरूर लेना चाहिए।

बाक्स 1.2: परस्पर सहयोग से पर्यटन और परिवहन की नीतियां बनाने के फायदे।

पर्यटन और परिवहन सम्बन्धी नीतियां एक साथ बनाने के फायदे बहुत स्पष्ट है।इन दोनों क्षेत्रों की नीतियों को एक दूसरे से अंत:समबन्धित करने में सरकार की भूमिका बहुत अहम होती है। उदाहरण के लिए-

•पर्यटकों की संतुष्टि के अनुरूप परिवहन सेवायें (जैसे- हवाई अड़डा,सडक,सार्वजनिक परिवहन) देकर दो गंतव्यों के बीच का आवागमन सुगम बनाया जा सकता है।

•परिवहन नीति बनाकर पर्यावरण सम्मत परिवहन के अन्य विकल्पों से गंतव्य स्थलों को स्वनिर्भर बनाया जा सकता है।

•किसी गंतव्यस्थल की आंतरिक आवाजाही को आसान बनाकर 'सीजन' में,

पर्र्यटकों की भीड बढनें से परिवहन क्षमता पर बढे बोझ को प्रबंधित किया जा सकता है। •पर्यटन नीतियां बनाकर स्थानीय परिवहन प्रणालियों को सुरक्षित और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सकता है।

स्रोत: "टूरिज्म फेसिलिटेशन ऐज पार्र्ट आफ ट्रांसपोर्ट पालिसी- समरी आफ इंटरनेशनल इक्सपीरिएंसेज" विषय पर एक अध्ययन।(आईटीएफ-इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम।ओईसीडी- आर्गेनाइजेशन फार एकोनामिक कोआपरेशन एण्ड डेवलपमेंट)

यदि परिवहन और पर्यटन विकास की रणनीतियों को समन्वित कर दिया जाय तो गंत्व्य स्थलों पर आकर पर्यटक अच्छा महसूस करेंगे। उदाहण के लिए, 'डेस्टिनेशन स्मार्ट कार्ड' का प्रावधान करके, गंतव्यस्थल के आसपास के प्राकृतिक या धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों के आवागमन को बाधारहित और सुखद बनाया जा सकता है ।

1.3.1 **भारत में परिवहन नीति**

परिवहन नीति,किसी गंतव्य स्थल पर पर्यटन के संसाधनों के आवंटन और उपलब्ध परिवहन गतिविधियों के प्रबंधन और विनियमन के बारे में निर्णय लेने में सहायक होती है।परिवहन के तीन प्रकार होते हैं-वायुमार्ग,थल मार्ग और जल मार्ग परिवहन। थल परिवहन के दो रूप होते हैं-सडक और रेल मार्ग। परिवहन नीति बनाना बहुत जटिल काम है। अलग अलग प्रकार के परिवहन अलग अलग

एजेंसियों के नियंत्रण में होते हैं। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और शासकीय प्रबंधन की अनेक एजेसियां भी परिवहन की ढांचागत संरचना से सम्बन्धित होती हैं । परिवहन सेवा देने वाले नये नये तरीके व प्लेटफार्म, जैसे कि आनलाईन सेवा देने वाली 'उबेर' और 'ओला' जैसी एजेंसियां वजूद में आ चुकी हैं। परिवहन के इन नये तरीकों से परिवहन सेवा में क्रांतिकारी बदलाव आया है,लेकिन इन सब को समेकित करके कोई समग्र परिवहन नीति बनाना एक चुनौती भरा काम है।

क्षेत्रफल(क्षेत्रफल में दुनिया का सातवां सबसे बडा देश) और जनसंख्या(सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला दूसरे नम्बर का देश) दोनो ही दृष्टि से भारत एक बडा देश है। यहां के सभी प्रकार के परिवहन अलग अलग मंत्रालयों के अधीन काम करते हैं।

बाक्स 1.3: परिवहन क्षेत्र का आबंटन

परिवहन का प्रकार	सम्बन्धित मंत्रालय
वायु मार्ग	नागरिक उड़डयन मंत्रालय
सडक मार्ग	सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
रेल मार्ग	रेल मंत्रालय
जल मार्ग	जहाजरानी मंत्रालय

भारत मे अभी तक ऐसी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनी है जिसमें परिवहन के सभी

माध्यमों को समाहित कर लिया गया हो।सभी मंत्रालय अपने अपने ढंग से नीतियां प्रोग्राम और कार्यक्रम बनाते हैं,जबकि समय समय पर गठित समितियों नें बार बार कहा है कि एक विस्तृत समेकित परिवहन नीति बनाने की आवश्यकता है।

कुछ कमेटियों के नाम निम्न प्रकार हैं-

1950:: मोटर वेहिकिल टैक्सेसन इनक्वायरी कमिटी ने परिवहन के सभी तरह के साधनों के विकास में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

1951:: ट्रांसपोर्ट एडवाइजरी कौंसिल ने बार बार जोर देकर कहा कि जल और थल समेत परिवहन के सभी रूपों के समेकित विकास,परस्पर सहयोग और संरक्षण के लिए एक राष्ट्रव्यापी परिवहन नीति बनानी चाहिए।

1959:: परिवहन नीति और पारस्परिक सहयोग के मसले पर एक समिति बनाई गयी।इसने अपनी रिपोर्ट में ,परिवहन के सभी रूपों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय नीति का खाका बनाने की सिफारिश की थी।

1970:: 'अंतर्देशीय जल परिवहन कमिटी' नें जोर देकर कहा कि परिवहन के सभी रूपों की भूमिका को परिभाषित करने तथा औचित्य के आधार पर, जहां जरूरी हो,सभी तरह के परिवहन सेवाओं में ऐक्य तथा पारस्परिक सहयोग की स्थापना के लिए स्पष्ट सिद्धांत और प्रविधि तैयार की जानी चाहिए।

1978::एक सुविस्तृत राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने के लिए पाण्डेय समिति का गठन किया गया। मई 1980 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में समिति ने सभी तरह के

परिवहन सेवाओं मे पारस्परिक सहयोग और समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता बताई और राष्ट्रीय परिवहन नीति में ऊर्जासंरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

सबसे हाल की कमिटी," दी नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पालिसी कमिटी" सन 2010 में गठित की गयी थी।राकेश मोहन की अध्यक्षता में इसे एक दीर्घावधि पर्यटन नीति बनाने पर विचार करने के लिए गठित किया गया था। कमिटी ने सन 2014 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में परिवहन के सभी रूपों के बीच एक आंतरिक कडी स्थापित करने पर बल दिया था।

अब,परिवहन क्षेत्र की राष्ट्रीय नीति के प्रमुख अभिलक्षणों को समझने के लिए,आइए पहले भारत सकरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के कुछ प्रमुख पहलुओं पर दृष्टिपात करें।उक्त नीति पहले 2006 में जारी की गयी थी फिर 2014 में इसे संशोधित किया गया।भारत का शहरीकरण तेजी से हो रहा है।इसलिए शहर केन्द्रित नीतियां बनाना बेहद आवश्यक है।2011 की जनगणना के अनुसार, अभी भारत की कुल आबादी की केवल 31 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है जबकि एक अनुमान के अनुसार,2050 तक यह आंकडा बढकर 50 प्रतिशत हो जायेगा। बढी हुई शहरी जनसंख्या के आवागमन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से ही योजना बनाकर काम शुरू कर देना आवश्यक है।पर्यटन के दृष्टिकोण से भी शहरी क्षेत्र पर

आधारित परिवहन नीति बनाना जरूरी होता है क्योंकि बाहरी देशों से भारत की यात्रा पर आने वाले पर्यटक सबसे पहले शहरों में आते हैं फिर वहां से अपनी पर्यटन यात्राये प्रारम्भ करते हैं।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति का लक्ष्य नागरिकों को अच्छी से अच्छी परिवहन सुविधा का इंतजाम करना होता है।इसलिए नीतिकारों का ध्यान वाहनों की नहीं,नागरिकों की गतिशीलता पर रहता है।

कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं-

- परिवहन नीतियों के समुच्चय से बनी एक परिवहन-मांग-प्रबंधन प्रणाली,जिससे लोगों के आवागमन की विविध गतिविधियों,जैसे लोग कब किस मौसम मे और किस परिवहन से यात्रायें करते हैं, का निश्चय करने पर जोर देना ताकि वैकल्पिक परिवहन का प्रबंध किया जा सके।
- सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबर्धन पर जोर देना।
- पार्किंग शुल्क, प्रदूषण मुक्त क्षेत्र आदि प्रतिबंधों के जरिये निजी परिवहन के उपयोग को हतोत्साहित करने पर जोर देना।
- शहरो में व्यापारिक काम्प्लेक्सेज के पास बहुमंजिली कार पार्कग को अनिवार्य बना देना।
- मास रैपिड ट्रांजिट पर निवेश को बढावा देना क्योंकि यह कम जगह

घेरती है और प्रदूषण भी कम होता है।

- शहरों में जलमार्ग और उससे सम्बन्धित ढांचागत विकास को प्रोत्साहित करना।
- जल मार्ग में कम ईंधन खर्च होता है और वायु प्रदूषण भी अधिक नहीं होता है तथा सस्ता भी पडता है।
- शहरों में बैटरी चालित, कम क्षमता की वेहिकिल, जैसे ग्रीन ई रिक्शा के अधिकाधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना।
- सलामती और सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नियमित अंतराल पर दुघटना बहुल स्थानों की सड़क सुरक्षा का ऑडिट करते रहना चाहिए।
- शहरी परिवहन व्यवस्था के बुरे प्रभावों के प्रति जागरूकता पैदा कर लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए।

1.4 भारत में संस्कृति और विरासत सम्बन्धी नीतियों से जुडे मुद्दे -

भारत मुख्यत: एक सांस्कृतिक पर्यटन का केन्द्र है। संस्कृति एक विराट पद है । इसमें ढेर सारे तत्व समाहित होते हैं। असल में , संस्कृति में जन जीवन के सभी

पहलू जैसे कि भाषा, धर्म, पाक शैली ,सामाजिक व्यवहार परम्परायें,संगीत कला शिल्प मूल्य और मान्यतायें आदि शामिल होते हैं। अन्य नीतियों की तरह सांस्कृतिक नीति भी एक तरह का दिशानिर्देश ही होती है। यहां हमारा लक्ष्य एक ऐसा खाका तैयार करना है जिसे व्यवहार,कानून और कार्यक्रम में परिणत किया जा सके ताकि संरक्षण और आर्थिक सहयोग से संस्कृति के ढेर सारे पहलुओं से जुडी गतिविधियों का विनियमन, किया जा सके।

सांस्कृतिक नीतियां आम तौर पर केन्द्र और प्रांतीय सरकारों के स्तर पर बनाई और सूत्रबद्ध की जाती हैं। संस्कृति में समाहित विविधताओं को देखते हुए, कोई एक सर्वसमावेशी राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति बना सकना कठिन है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में तो और भी कठिन इसलिए है कि इसे अपनी विविधता के लिए ही खास तौर से दुनिया में जाना जाता है । हालांकि भारत में एक पूर्णतया स्वतंत्र संस्कृति मंत्रालय काम करता है और उसके द्वारा जारी होने वाले सभी आदेश सांस्कृतिक विरासत और सभी कला-रूपों के परिरक्षण् संरक्षण् और विकास से ही जुडे होते हैं।

बाक्स 1.4 भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की गतिविधियां

मंत्रालय निम्न गतिविधियां संचालित करता रहता है।

- विरासतों,ऐतिहासिक शहरों, प्राचीन स्मारकों का रखरखाव और संरक्षण।
- पुस्तकालयों का प्रशासनिक काम काज।

•साहित्यिक,दृश्य और मंचीय कलाओं को प्रोत्साहन।

•राष्ट्रीय हस्तियों की जयंतियों या पुण्यतिथियों से जुडी शताब्दियां और बुद्धिस्ट और तिबतन स्टडीज संस्थाओं का विकास करना।

•संस्कृति और कला के क्षेत्र के गैरसकरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना।

•बाहरी देशों के साथ सांस्कृतिक सहमतियां स्थापित करना।

सर्कियता का चक्र हमेशा चलाते रहना ।

•जमीनी स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सांस्कृतिक आदान प्रदान की

स्रोत:: संस्कृति मंत्रालय **(Culture (https://www.indiaculture.nic.in/)**

जहां तक समाज में संस्कृति के संरक्षण की प्रासंगिकता के सम्बन्ध में दिशा निर्देश का सवाल है, तो भारत के संविधान में पहले से ही संस्कृतियों के लिए प्राविधान किया हुआ है। जैसे कि -

संविधान के भाग 3 (मौलिक अधिकार)

आर्टिकिल 29(1) में कहा गया है,"भारत या किसी भी भाग के किसी भी नागरिक को अपनी भाषा,लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार होगा। "

आर्टिकिल 29 (2) में कहा गया है," राज्यों द्वारा संपोषित या उसके धन के सहयोग से चलने वाली शिक्षणसंसथाओं में, धर्म,नस्ल जाति या भाषा या इनमे से

किसी भी कारण से प्रवेश देने से मना नहीं किया जायेगा ।

आर्टिकिल 30 सांस्कृतिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को अपना शिक्ष्ण संसथान खोलने और संचालित करने का अधिकार होगा।

आर्टिकिल 30(2) अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को फण्ड देने से मना करने से मना नहीं किया जा सकता।

संविधान के भाग 4 (राज्य नीति का दिगदर्शक सिसद्धान्त)

आर्टिकिल 51 ए (एफ)" साझी संस्कृति की शानदार विरासत का संरक्षण करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा।

आर्र्टिकिल 43 सभी श्रमिकों को सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का आनन्द उठाने का अधिकार सुनिश्चित करना सरकार का वैधानिक कर्तव्य होगा।

विरासत से मतलब उन चीजों से है जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं और जिसे अगली पीढी को सौप दिया जायेगा। सांस्कृतिक विरासत का अभिप्राय उस संस्कृति से है जो हमें हमारे पूर्वजों से हमें मिली है और भावी पीढी तक पहुंचाने के लिए जिसका संरक्षण जरूरी है। सांस्कृतिक विरास के दो रूप होते हैं-

- मूर्त सांसकृतिक विरासत जैसे कि स्मारक और पुरातात्विक महत्व के स्थान, कलाकृतियां, सिक्के आदि ।
- अमूर्त विरासत जैसे प्रदर्शन कलायें, धार्मिक क्रिया कलाप आदि

भारत में विरासतों का रखरखाव और संरक्षण् कैसे किया जाता है, इसे दो

उदाहरणों से समझा जा सकता है।

उदाहरण 1- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्न बहुकोणीय व्यवस्था बनाई गयी है।

राष्ट्रीय स्तर पर अकादमियों की स्थापना जैसे कि 'संगीत नाटक अकादमी'।

स्वायत्त संस्था जैसे कि 'भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद'।

सहायक संस्थायें जैसे कि 'एन्थ्रोपोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया' और इसीतरह के कई स्वायत्त संस्थायें, अभियान और सर्वे आदि ।

राज्यस्तरीय संस्थायें- पूरे देश में काम करने वाले परिक्षेत्रीय सांसकृतिक केन्द्र। इन सांस्कृतिक केन्द्रों को क्षेत्रवार इस प्रकार बनाया गया है।

- पूर्वी क्षेत्र - मुख्यालय ,कोलकाता ।
- उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय, पटियाला
- उत्तरी जोन पुख्यालय इलाहावाद
- पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय उदयपुर
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय दीमपुर

3. जमीनी स्तर से लेकर जिला और क्षेत्र स्तर तक सथानीय समुदायों को जिम्मेदारी देकर उनके अंदर जिम्मेदारी की भावना पैदा करना तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना ।

स्रोत:: भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय।

उदाहरण 2 भारत के विरासत् प्रबंधन से जुडा कार्यदायी संगठन ।

भारत में विरासत प्रबंधन की चुनौतियों को समझने और भविष्य के कार्यक्रम के साथ साथ भारत के अमूल्य पुरातात्विक विरासतों को ब्रांड बनाकर प्रचारित करने के लिए भारत सरकार के प्रधान मंत्री कार्यालय की ओर से नीति आयोग के प्रमुख के नेतृत्व में सन 2019 में " भारत में विरासतों के प्रबंधन में सुधार" शीर्ष्रक से एक 'वर्किग ग्रुप' बनाया गया। रिपोर्ट में कार्र्यसम्पादन की जिस रणनिति पर काम करने की सिफारिस की गयी थी,उसके कुछ विन्दु इस प्रकार थे-

- " आर्र्कियोलाजिकल सोसाइटी आफ इंडिया " का पुनर्ग्रठन।
- एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना।
- जनता से समपर्क स्थापन
- पहाडो के आसपास के प्रतिबंधित और सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र्रो पर लागू कानूनों की व्याख्या करना ।
- प्र्रांतीय सरकारों और दूसरे संगठनों,जैसे कि मंदिर ट्रस्ट और वक्फबोर्र्ड को सहयोग देना
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से, प्रबंधन क्षमता बढाकर अपनी विरासतों को रोजगार पैदा करने का उपकरण बनाना।

उक्त रिपोर्ट मे भारत की बहुमूल्य पुरातात्विक सम्पदाओं का विवरण दिया गया है जो निम्न प्रकार है-

भारतीय उपममहाद्वीप की समृद्ध और जीवंत संसकृति शायद दुनिया की अकेली संसकृति है जिसके पास तमाम तरह की मूल्यवान विरासतें और जीववंत स्मारक है। भारत के धरोहर स्थलों और स्मारकों के समृद्ध भंडार में से कुल संरक्षित 38 ध्रोहरों ेमें से 30 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) के अधिकार में लगभग 3,691 स्मारक राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित हैं। इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों के पुरातत्व विभागों के तहत लगभग 5000 से अधिक स्मारक और लगभग 4, 50,000 से अधिक धार्मिक ट्रस्ट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च संरक्षित किये गये हैं ।धरोहर की सूची में अभी बहुत सारे सजीव ऐतिहासिक शहरों को शुमार नहीं किया गया है । सूची से बाहर के तमाम शहरों में दो ऐसे शहर भी शामिल हैं जिनको (अहमदावाद और जयपुर) 'यूनेस्को'द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है1 15 से 20000 घरों वाले सभी ऐतिहासिक शहरों में कुल 5000 से अधिक ऐतिहासिक इमारतें होती होगी1भारत में ऐसे 60 शहर हों तो कुल 30000 ऐतिहासिक इमारतें होंगी। सन 2016 में विश्व ध्रोहर सूची में कंचनजंगा को शामिल किये जाने के बाद, भारत के ग्रामीण धरोहरों(जो कम से कम 80000 होंगे)को चिन्हित करके "सांस्कृतिक भू-

दृश्य ' की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा रहा है। लददाख के अपाटनी सांस्कृतिक भू दृश्य और शीत मरूस्थलीय भू-दृश्य अभी अस्थायी सूची में है। कमजोर अधिरचना और धन की कमी के कारण बहुत सारी इमारतें अभी किसी भी औपचारिक सूची मे शामिल नहीं हो पाई हैं । इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज नामक एनजीओ के प्रयास से ये असंरक्षित स्मारक और धरोहर इमारतें सार्र्वजनिक अधिसूचना जारी करके सूचीबद्ध की जाने लगी हैं। पिछले दसक में एनएमएमए, आईजीएनसीए,और एएसआई की ग्रामीण सर्वे ने भी ऐसी इमारतों की सूची बनाई है जिनसे देश की धरोहरों की व्यापकता का पता चलता है।

स्रोत नीतिआयोग वर्किंग ग्रुप द्वारा **Improving Heritage Management in India** विषय पर किये गये अध्ययन की रिपोर्ट(प्रस्तवना,पेज 27)

1.5 टिकाऊ पर्यटन विकास के लिए नीति के क्षेत्र

1.5 टिकऊ विकास की अनेक परिभाषाये हैं। लेकिन यूनाइटेड नेसन द्वारा 'हमारा साझा भविष्य' शीर्ष्क के अंतर्गत जारी रिपोर्ट(ब्रुण्डटलेण्ड रिपोर्ट) में दी गयी परिभाषा सबसे ज्यादा उधृत की जाती है।

"टिकाऊ विकास उसे कहते हैं जो हमारी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो"

टिकाऊ विकास का कोई खाका या तैयारशुदा तरीका नहीं होता । मनुष्य के विकासात्मक लक्ष्यों को पाने का यह एक दृष्टिकोण है, जिसमें पिछली पीढी से चले आ रहे ,मनुष्य की समृद्धि के आधारभूत वेशकीमती प्राकृतिक और मनुष्यनिर्मित स्रोतों का न्यूनतम उपयोग होता है। विकास के मामले में 'एकै साधे सब सधै ' जैसा कुछ नहीं होता। यही बात पर्यटन के विकास पर भी लागू होती है। पर्यटन को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए जरूरी है कि सभी सम्बन्धित हितधारक एक साथ मिल कर काम करें।इस संदर्भ में **"Making Tourism more sustainable- A guide for Policymakers"** शीर्षक से सन 2005 में **UNEP** और **UNWTO** द्वारा जारी संयुक्त दस्तावेज में नीति निर्माताओं के लिए एक विस्तृत निर्देशिका जारी की गयी थी। इसमें टिकाऊ विकास का एक 12सूत्रीय एजेण्डा तैयार किया गया है जो आर्थिक व्यवहार्यता, सथानीय समृद्धि ,रोजगार गुणवत्ता, सामाजिक बराबरी ,आगंतुक की संतुष्टि ,स्थानीय नियंत्रण, समुदायों के

कल्याण , सांसकृतिक समृद्धि,भौतिक एकजुटता ,जैवीय विविधता,ससांधो की दक्षता और पर्यावरणीय शुद्धता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। इन सभी 12 लक्ष्यो और उनसे सम्बनिधत क्षेत्रों को चुनने के पीछे का उद्येश्य नीचे दिया जा रहा है। इससे यह समझने में सहायता मिलेगी कि टिकाऊ विकास नीति बनाते समय, किस क्षेत्र में क्या काम करना आवश्यक होगा।नीति बनाते समय ये प्रमुख क्षेत्र दिशा निर्देशक का काम करेंगे। सभी सरकारें और उनके साझीदार अपने अपने सथानीय जरूरतों के हिसाब से समुचित नीति का विकास करेंगे। इसलिए, सथान भेद से नीतियों की अंतर्वसतु, संरचना और प्राथमिकताओं में भी अंतर देखने को मिलेगा ।

1. **आर्थिक व्यवहार्यता::** पर्यटन सथलों और उद्ययोगों की व्यवहार्यता और प्रतिस्पर्धिता को सुनिश्चित करना ताकि वे लम्बे समय तक लाभदायक बने रहने में सक्षम हों।

नीति क्षेत्र का सम्बोध्य :: बाजार को समझना ,आगंतुकों की संतुष्टि को और बढाना , वयवसाय के लिये अनुकूल वातावरण बनाये रखना , और गंतव्य स्थ्लों के आकर्षण का प्रदर्शन करते रहना । सामान उपलब्ध कराने वाले व्यवसाय को सहयोग देना।

2. **स्थानीय समृद्धि::** स्वागती पर्यटन केन्न्द्रो से प्राप्त आय का अधिकतम भाग वहीं के आर्थि विकास पर खर्च करना। आगंतुको से होने वाली आय का भी बडा

भाग वहां के विकास पर लगा देना ।

नीति-क्षेत्र का संबोध्य :: नुकसान को कम करना। सम्बन्धित व्यापारों में लिंक स्थापित करना । आंगंतुकों का अपना खर्च बढाने के लिए प्रेरित करते रहना ।

3.**रोजगार की गुणवत्ता** :: पर्यटन से पैदा हुए स्थानीय नौकरियों की गुणवत्ता और संख्या बढाना । कर्मचारियों के वेतनऔर काम करने सिथतियों में सुधार करना तथा बिना किसी भेद भाव के सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना।

नीति-क्षेत्र का संबोध्य :: रोजगार के अवसर बढाना और साल के सभी महीनों में पूर्णकालिक रोजगार सुनिश्चित करना। श्रमकानूनो को लागू करना तथा उद्यमियों को अपने कर्मचरियों के कौशल विकास के लिए ट्रेरेनिंग कार्यक्रम आयोजित करते रहने के लिए प्रेरित करना । नौकरी से बाहर कर दिये गये लोगों के प्रति सहानुभूति परक व्यवहार करना ।

4:: **सामाजिक बराबरी** ::पर्यटन व्यवसाय से मिलने वाले आर्थिक और सामाजिक मुनाफे का सभी लाभार्थी समुदाय में बिना किसी भेद भाव के समान वितरण सुनिश्चित करना और गरीबों के लिए व्यवहार्य रोजगार के अवसरों और आमदनी में सुधार सुनिश्चित करना ।

नीति-क्षेत्र का संबोध्य :: बंचित तबकों के लिए आमदनी अर्जन के अवसर पैदा करना।पर्यटन से होने वाली आय से सामाजिक विकास के कार्यकम बनाना।

5. **आगंतुक पर्यटकों की संतुष्टि:**: लिंग,नस्ल या अन्य किसी भी आधार पर बिना

किसी भेद भाव के , सेवा और सुरक्षा देक सभी आगंतुकों की संतुष्टि का पूरा खयाल रखना।

नीति-क्षेत्र का संबोध्य :: सबकुछ सबके लिए सुगम और उपलभ्य बनाना। बंचितों को अवकाश के अवसर दिलाना । आगंतुको की सेवा के लिए कर्मचारियो की व्यवस्था सुनिश्चित करना । आगंतुकों की संतुष्टि को बनाये रखने के लिए बराबर जांचपडताल करते रहना । और संतुष्टि के स्तर में सुधार करते रहना।

6.**स्थानीय नियंत्रण**: पर्यटन के प्रबंधन और भावी विकास के निर्णयों में, अन्य हितधारकों से राय लेने के साथ साथ गंत्व्य क्षेत्र के स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना ।

नीति-क्षेत्र का संबोध्य :: स्थानीय समुदाय को सक्षम बनाकर नीति निर्माण् की प्रकिया में उचित रूप सें शामिल करना । निर्णय लेने में स्थानीय लोग शामिल हो सकें,इसके लिए उचित माहौल बनाना। मूल आबादी की समस्यायें दूर करके स्थानीय नियंत्रण में तरजीह देना।

7:: **सामुदायिक कल्याण** ::

सामजिक संरचना, संसाधनों की उपलभ्यता,सुविधाओं और समर्थन प्रणाली को मजबूत करते रहने के साथ साथ सथानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता को सशक्त बनाये रखना और मनुष्यता को शर्मशार करने वाले शोषण् के सभी रूपों से दूरी बनाये रखना ।

नीति-क्षेत्र का संबोध्य : दर्शनीय स्थल ,समय और परिमाण में सही संतुलन बनाना भीड न होने पाये ,इसका उपाय करना ।

पर्यटन उद्यमों का सावधानी पूर्वक प्रबंधन और नियोजन करना।

.नागरिकोंऔर पर्यटकों को आपस में सेवावों और सुविधाओं के आदानप्रदान को प्रोतसाहित करना ।

सथानीय लोगों के साथ सही वयवहार करने के लिए पय्रटकों में भावना पैदा करना

8.***सांस्कृतिक समृद्धि***:: ऐतिहासिक धरोहरों, संसकृतियों और समुदायों की पारंपरिक खूबियों का सम्मान करना

नीति-क्षेत्र का संबोध्य :: सांसकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर वाले स्थलों का प्रभावी प्ररबंधन और संरक्षण करना। संस्कृति और परम्परा संबंधी नाजुक मामलों में स्थानीय नागरिकों की सहायता लेना।

9.भौतिक एकजुटता :: ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के भू-दृश्यों की खूबसूरती और विशिष्टता बचाये रखना और पर्यावरण का भौतिक और दृश्यात्मक वातावरण दूषित न हो ,इसका ध्यान रखना ।

नीति-क्षेत्र का संबोध्य :: सुनिश्चित करना कि पर्यटन के विकास का नया कदम स्थानीय पर्यावरणीयस्थितियों के अनुकूल है।देखना कि पर्यटन के स्रोतों जैसे ग्रामीण और शहरी भूदृश्यों के प्राकृतिक पर्यावरण पर पर्यटकीय गतिविधियों का प्रभाव बहुत कम पडता है और उनका प्राकृतिक सौंदर्य सुरक्षित है ।

10. **जैवीय विविधता** :: प्राकृतिक क्षेत्रोआवासों और वन्यजीवों को अक्षुण बनाये रखना और उनकी क्षति को घटाकर न्यूनतम स्तर तक लाना ।

नीति-क्षेत्र का संबोध्य :: राष्ट्रीय पार्को और दूसरे संरक्षित क्षेत्रों के साथ मिल कर काम करना । ईको टूरिज्म के विकास और प्रबंधन को बढावा देना। भूमिधारकों को स्थायी भूमि प्रबंधन पर अमल करने के लिए पर्यटन का उपयोग करना; निजी संस्थानों द्वारा संचालित पार्को और 'रिजर्वस' के साथ मिलकर काम करना । पयटकों के आवागमन से होने वाले नुकसान को कम करना । आगंतुकों में जैवीय विविधता के प्रति जागरूकता पैदा करना। संरक्षण के काम में आगंतुकों और उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करना।

11.**संसाधन क्षमता**:: दुर्लभ और गैर-नवीकरणीय संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करते हुए पर्यटन सुविधाओं और सेवाओं का विकास करना।

नीति-क्षेत्र का संबोध्य :: पयर्टन के विकास की योजना बनाने में संसाधनों की आपूर्ति को ध्यान में रखना और पर्यटन क्षेत्र में जल के खर्च मे कमी लाना। पर्यटन के विकास में भूमि और कच्चे माल का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना और कम से कम उपयोग करने , दोबारा उपयोग करने और रिसाइकिल करने की माकनसिकता को उत्साहित करना।

12. **पर्यावरणीय शुद्धता** :: हवा,पानी और भूमि का प्रदूषण् कम करना तथा पर्यटकों और उद्योगों से कचरा कम से कम पैदा हो ,इसका प्रयास करना ।

नीति-क्षेत्र का संबोध्य :: टिकाऊ परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करना। पर्यावण को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के उपयोग को कम करना । सीवेज लाइनों के गंदे पानी से नदियों का पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाना । कूडा कम से कम पैदा हो इसका प्रबंधन और सावधानी पूर्वक निस्तारण करना। पर्यटन की नयी सुविधाओ पर जोर देना ।

प्रगति की जांच करें-***2***

1) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2016 के प्रमुख विन्दुओं की व्याख्या करें।

.....

.....

2) पर्यटन के टिकाऊ विकास के लिए नीति-क्षेत्रों की चर्चा करें।

.....

.....

1.6 समापन

सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम स्तर तक बढाने और नकारात्मक प्रभावों को कमतर करने के लिए गंतव्य स्थलों पर पर्यटन विकास के निर्देशो के अनुरूप व्यवयहार करना। चिन्हित किये गये लक्ष्यों के अनुरूप नीतियां सूत्रबद्ध करना । इस यूनिट में हमने भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यटन नीतियों(सन 1982 और 2002), और नेशनल ऐक्सन टूरिज्म प्लान,1992 के

प्रमुख विन्दुओं की चर्चा की है। इस यूनिट में हमनें पर्यटन के दो मुख्य घटकों- परिवहन और संस्कृति से सम्बन्धित नीतियों के प्रमुख विन्दुओं पर भी विचार किया है। हमने यह भी जाना कि आज के समय में जरूरत केवल पर्यटन क्षेत्रो का विस्तार और विकास करते जाना ही नहीं, बल्कि इसे अधिक से अधिक स्थाई बनाना भी है। टिकाऊ विकास के लिए UNEP और UNWTO द्वारा 12 सूत्रीय एजेण्डा तैयार किया गया किया गया है। जिसमें कुल बारह मुद्दे शामिल हैं- आर्थिक वयवहार्यता ,स्थानीय समृद्धि, रोजगार गुणवत्ता,सामाजिक बराबरी ,आगंतुक की संतुष्टि,स्थानीय नियंत्रण,सामुदायिक कल्याण ,सांसकृतिक समृद्धि , भौतिक ऐक्यता,जैवीय विविधता ,संसाधन दक्षता और पर्यावरणीय परिशुद्धि। पर्यटन को यदि टिकाऊ होना है , तो नीति निर्माताओं को नीति निर्माण की दृष्टि से आवश्यक कुछ प्रमुख क्षेत्रों के प्रति जागरूक रहना होगा ।

1.7 प्रगति की जांच के लिए कुछ संकेत सूत्र

अपनी प्रगति की जांच करें।

देखे सेक्सन 1.1

देखे सेक्सन 1.2.3

अपनी प्रगति की जांच करें-2

देखे सेक्सन 1.1.3

देखें उप सेक्सन 1.5

1.8 आगे की पढाई

राष्ट्रीय पर्यटन नीति **1982**

http://tourism.gov.in/sites/default/files/policy/Tourism%20Policy%201982.pdf

पर्यटन पर राष्ट्रीय कार्य योजना **1992**

http://tourism.gov.in/sites/default/files/policy/National%20Action%20Plan%20For%20Tourism%201992compressed.pdf

राष्ट्रीय पर्यटन नीति **2002**

http://tourism.gov.in/sites/default/files/policy/National%20Tourism%20Policy%202002.pdf

ड्राफट राष्ट्रीय नीति **2015**

http://tourism.gov.in/sites/default/files/policy/Draft_National_Tourism_Policy_2015.pdf

UNEP और **UNWTO (2005) "**पर्यटन को और अधिक टिकाऊ बनाना : नीति

निर्माताओं के लिए एक निर्देशिका

http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/dtix0592xpa-tourismpolicyen.pdf

……..00……